

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाड़ा
(प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023 कैम्प)

प्रकरण संख्या 548/23

दिनांक 01/06/2023

उनवान

श्री कृष्ण गोपाल पुत्र बंशी लाल महाजन

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार
जहाजपुर जिला भीलवाड़ा


—:: आदेश ::—


प्रार्थी के खाता दुरस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का पीपलून्द भू.अ.नि. पीपलून्द एवं तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट / अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम पीपलून्द प. ह. की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2076-2079 के खाता संख्या 1 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है।

क्र.स.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति /ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी है।
1	प्रार्थी का नाम	गोपाल लाल पुत्र बंशी लाल महाजन	कृष्ण गोपाल पुत्र बंशी लाल महाजन

प्रतिलिपि ::—

- तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करें।
- प्रार्थी कृष्ण गोपाल पुत्र बंशी लाल महाजन
- रक्षित पत्रावली।


उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला भीलवाड़ा


उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला भीलवाड़ा